भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2626

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

2626. श्री डी. के. सुरेशः

श्री बी वाई राघवेन्द्रः

श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण भागों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक सामान्य दृश्य बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि क्रियाकलापों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का महिला कृषकों को कृषि में गहन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर संचालित कृषि संगणना के अनुसार देश में महिला प्रचालनात्मक जोतों का प्रतिशत वर्ष 2010-11 के दौरान 12.78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 के दौरान 13.78 प्रतिशत हो गया है।

(ग) से (ड.): राष्ट्रीय किसान नीति (एनपीएफ) (2007) के प्रावधानों की तर्ज पर ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले से ही महिला किसानों के लिए विशेष रूप से एक कार्यक्रम नामत: ''महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवी)'' का कार्यान्वयन कर रहा है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है। एमकेएसपी का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर और उनके लिए सतत आजीविका के अवसर पैदा करके उन्हें सशक्त बनाना है। भारत सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिए 60 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग अपनी लाभार्थी उन्मुखी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत महिला किसानों के लिए 30 प्रतिशत की निधि एवं लाभ सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, सरकार कुछ चुनिंदा योजनाओं के तहत पुरुष किसानों के अलावा महिला किसानों के लिए अतिरिक्त सहयोग व सहायता प्रदान कर रही है।

****